No. 1(1)/2009-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 13th March, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2009.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1 (3)/2008-E-II (B) dated 29th August, 2008 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 16% to 22% with effect from 1st January, 2009.

2 The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1 (3)/2008 -E-II (B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3 The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4 The payment of arrears of Dearness Allowance for the months of January and February, 2009 shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2009.

5 These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6 In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

R Premanand

(R. Prem Anand)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list etc.

Copy (with usual number of spare copies) to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

फा.सं.1(1)/2009-संस्था-II (ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2009 से लागू संशोधित दरें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)/2008-संस्था-II(ख) का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है ।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.1(3)/2008-संस्था-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे ।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा ।

4. इस आदेश के तहत जनवरी, और फरवरी, 2009 माह के लिए देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2009 के वेतन संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा ।

5. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष मे प्रभार्य होगा । सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं ।

आर. प्रेम आनन्द
(आर. प्रेम आनन्द)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागो को मानक वितरण सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि:- नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रेषित (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।